# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
## पीठासीन अधिकारीः— जयप्रकाश, आर.ए.एस.

**पत्रावली संख्याः— 228/2007/रेफरेन्स**

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फतेहपुर जिला सीकर

**प्रार्थी**

**बनाम**

1 दुर्गाराम पुत्र गणपत
2 थावरमल पुत्र गणपत
3 गणपति बेवा गणपत
} समस्त जाति स्वामी निवासीगण मांडेला बड़ा तहसील फतेहपुर जिला सीकर

**अप्रार्थी**

**रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 भू—राजस्व अधिनियम 1956**

**निर्णय** **दिनांकः—24.10.2019**

इस प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मांडेला बड़ा तहसील फतेहपुर जिला सीकर में भूमि खसरा नम्बर 183 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा पुख्ता स्थित है जिसका खातेदार काश्तकार प्रतिपक्षी मन्दिर श्री हनुमान जी था एवं काबिज था। उसके अतिरिक्त इस भूमि में किसी दूसरे का हिस्सा व कब्जा नहीं था। उक्त भूमि वर्णित धारा 1 प्रार्थना पत्र को प्रतिपक्षी मन्दिर ने बिचोती पत्र/दान पत्र/ बंधक पत्र/ विनिमय/शिकमी कास्त के द्वारा प्रतिपक्षी नम्बर 1 ता 3 को हस्तान्तरित कर दिया। कानून से मन्दिर की भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं कर सकता। इसलिये हस्तानान्तरण अवैध है। निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त हस्तानान्तरण ABINITION NULL AND VOID है। प्रतिपक्षी नम्बर 1 ता 3 को विवादग्रस्त भूमि धारा 1 में कानून से कोई खातेदारी अधिकारी प्राप्त नहीं हो सकते है। उसका कब्जा उक्त भूमि पर अनाधिकृत है और यह कानून से उक्त भूमि पर अतिक्रमी है, और बेदखल किये जाने योग्य है। विवादग्रस्त भूमि का नामांतकरण संख्या 196, 256, 340, 341, 351 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42, 43, 46(ए) के प्रावधानों के विरूद्व किया है और अवैधानिक तस्दीक किये गये नामान्तकरण के आधार पर प्रतिपक्षी नं. 1 ता 3 को किसी प्रकार के विवादग्रस्त भूमि में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। प्रतिपक्षी नं. 1 ता 3 ने विवादग्रस्त भूमि का अवैध हस्तान्ततरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42, 43, 46(ए) के विरूद्ध हस्तान्तरण किया है इसलिये इसका इस भूमि से कोई ताल्लुक नहीं रहा है और यह भूमि कानूनन राजस्थान सरकार की हो गई है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि नामांतकरण संख्या 196, 256, 340, 341, 351 ग्राम माण्डेला बड़ा को निरस्त कर उक्त खातेदारी मन्दिर श्री हनुमान जी के नाम से दर्ज किये जाने हेतु राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफरेन्स किया जावे।

24/10/19

रेफरेन्स आवेदन प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण की और से वकील श्री गंगाधर भूरिया उपस्थित आये। दौराने बहस अधिवक्ता अप्रार्थी अनुपस्थित रहा। रेफरेन्स आवेदन का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत् 2011 से 2013 के मुताबिक उपरोक्त आराजियात की खातेदारी माफी मन्दिर श्री हनुमान जी वाके देह व अहतमाम पुजारी चन्द्रा व हरदेवा पि.

2011–2014 के मुताबिक उक्त आराजियात की खातेदारी माफी मन्दिर श्री हनुमानजी वाके देह व अहतमाम पुजारी चन्द्रा हरदेवा पि. मोतीराम कौम स्वामी सा.देह ब.ही.ब. खुद काबिज के नाम से दर्ज रिकॉर्ड अंकित हैं। जमाबन्दी सम्वत् 2018–2021 में भी उक्त आराजियात माफी मन्दिर श्री हनुमानजी वाके देह व अहतमाम पुजारी चन्द्राराम हरदेवा पि. मोतीराम कौम स्वामी सा.देह खुद काबिज के नाम से दर्ज रिकॉर्ड अंकित हैं। जमाबन्दी सम्वत् 2022–2025 के मुताबिक उक्त आराजियात की खातेदारी गणपत पुत्र चन्द्रा कौम स्वामी सा. देह के नाम से दर्ज रिकॉर्ड अंकित है। जमाबन्दी सम्वत् 2022–2025 से जमाबन्दी सम्वत् 2043–2046 तक उक्त आराजियात की खातेदारी गणपत पुत्र चन्द्रा कौम स्वामी सा.देह के नाम दर्ज रिकॉर्ड अंकित है। नामांतकरण संख्या 196 खातेदार गणपत फौत हो जाने पर उनके वारिस दुर्गाराम थावरमल पि. गणपत व गणपति बेवा गणपत जाति स्वामी सा.देह के नाम तस्दीक कर दिया गया। नामांतकरण संख्या 340 के द्वारा खातेदार गणपति फौत हो जाने पर दुर्गाराम थावरमल पि. गणपत कौम स्वामी के नाम तस्दीक कर दिया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2011–2013 के मुताबिक उपरोक्त आराजियात की खातेदारी माफी मन्दिर श्री हनुमान जी वाके देह व अहतमाम पुजारी चन्द्रा व हरदेवा पि. मोतीराम कौम स्वामी सा. देह के नाम व खसरा गिरदावारी सम्वत् 2011–2014 में उक्त खातेदारी माफी मन्दिर श्री हनुमान जी वाके देह व अहतमाम पुजारी चन्द्रा व हरदेवा पि. मोतीराम कौम स्वामी सा.देह खुद काबिज दर्ज रिकार्ड अंकित है एवं जमाबन्दी सम्वत् 2022–2025 के मुताबिक बिना किसी आदेश के उपरोक्त आराजियात मन्दिर के स्थान पर गणपत पुत्र चन्द्रा कौम स्वामी सा.देह के नाम से दर्ज रिकार्ड अंकित कर दी गई। जमाबन्दी सम्वत् 2011–2013 में अप्रार्थी गणपत के पिता चन्द्रा का नाम मन्दिर का पुजारी के रूप में दर्ज होने से सम्वत् 2022–2025 में उक्त आराजियात की खातेदारी मन्दिर के स्थान पर गणपत पुत्र चन्द्रा के नाम अंकित कर दी गई। जमाबन्दी सम्वत् 2011–2013 एवं खसरा गिरदावरी सम्वत् 2011–2014 के मुताबिक उपरोक्त आराजियात की खातेदारी माफी मन्दिर श्री हनुमान जी खुद काश्त के रूप में दर्ज रिकार्ड होने के उपरांत जमाबन्दी सम्वत् 2022 से 2025 में उक्त मन्दिर की खातेदारी अप्रार्थी के नाम से दर्ज कर दी गई, जो बिना किसी आदेश के दर्ज कर दी गई है। मूर्ति मन्दिर की खातेदारी में दर्ज भूमियों पर किसी अन्य को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 46 के अनुसार खातेदारी अधिकार प्रोद्भुत नहीं होते है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किये जाने योग्य है।

निष्कर्षतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर ग्राम मांडेला बड़ा तहसील फतेहपुर जिला सीकर की भूमि खसरा नम्बर 183 के सम्बंध में तस्दीक नामान्तकरण संख्या 196, 256, 340, 341, 351 के द्वारा अन्य खातेदारान के नाम दर्ज हुई है, जो निरस्त होने योग्य है। खातेदारी निरस्त किये जाने की अभिशंषा के साथ पत्रावली माननीय निबन्धक राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भेजकर अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि पुनः माफी मन्दिर श्री हनुमान जी के नाम दर्ज की जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/10/19

(जयप्रकाश)

अति० जिला कलक्टर, सीकर